संख्या.ए- 13019/बीएडब्ल्यू/2019-बीज

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

खंड सं.-9, के.स.का. परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली-03

दिनांकः- 20.10.2021

परिपत्र

विषयः- सतर्कता जागरुकता सप्ताह,2021

"स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता / Independent India @75: Self Reliance with Integrity"

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 15/09/21 दिनाक 01/09/2021 के अनुसार समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय में **"स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता / Independent India @75: Self Reliance with Integrity"** विषय पर दिनांक **26 अक्टूबर 2021 से 01 नवम्बर 2021** तक **"सतर्कता जागरुकता सप्ताह"** मनाया जा रहा है। (यह परिपत्र https://cvc.gov.in/sites/defult/files/VAW%20CIRCULAR-NEW.pdf पर भी उपलब्ध है) ।

2. **"सतर्कता जागरुकता सप्ताह"** के दौरान निदेशालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय में इस संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे -

दिनांक, दिन एवं समय	कार्यक्रम/ गतिविधियां	तरीका (mode)
26/10/2021 मंगलवार प्रातः11 बजे	निदेशालय के सभी कार्मिकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेना	निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार वीडियो कफ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशालय के सभी कार्मिकों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलायेंगे । प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए लिंक स.नि.पु.बे. की वेबसाइट www.dcpw.gov.in पर 10 बजे पूर्वाहन से उपलब्ध होगा। सभी संबंधित शाखा प्रभारी/अनुभाग प्रभारी/अं.रा.पु.बेतार केन्द्र के प्रभारी प्रतिज्ञा हेतु समय से सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।
27/10/2021 बुधवार	निबंध प्रतियोगिता	ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइनः- क) **सभी प्रतिभागी "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"; "Independent India @75: Self Reliance with Integrity"** विषय पर हिंदी या अंग्रेजी में हस्तलिखित या टाईप किए गए निबंध को दिनांक 27/10/2021 को शाम 5 बजे तक सतर्कता प्रकोष्ठ में जमा करें या cvo@dcpw.gov.in पर मेल कर दें। ख) निबंध 500 शब्दों तक सीमित होना चाहिए। निबंध के सबसे ऊपरी भाग पर अपना नाम, पदनाम, तैनाती का स्थान तथा मोबाइल नम्बर दिया जाना चाहिए।
28/10/2021 गुरुवार सांय 3 बजे	वाद-विवाद प्रतियोगिता	सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लिंक स.नि.पु.बे. की वेबसाइट www.dcpw.gov.in पर दिनांक 28 /10/2021 को 2 बजे अपराहन से उपलब्ध होगा।
29/10/2021 शुक्रवार सांय 3 बजे	भ्रष्टाचार-रोधी विषय पर कार्यशाला/क्विज़	सभी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। भाग लेने के लिए लिंक स.नि.पु.बे. की वेबसाइट www.dcpw.gov.in पर 29/10/2021 को 2 बजे अपराहन से उपलब्ध होगा।
01/11/2021 सोमवार सांय 3 बजे	विजेताओं की घोषणा/समापन	सभी विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाइन भाग लेंगे, भाग लेने के लिए लिंक स.नि.पु.बे. की वेब्रसाइट www.dcpw.gov.in पर 01/11/2021 को 2 बजे से उपलब्ध होगा।

संयुक्त निदेशक (प्रशि.)
Joint Director (Trg.)
983
20/10/2021

आर. के. वर्मा
संयुक्त निदेशक (प्रशि.)

3. निदेशालय के सभी कार्मिक सीवीसी पोर्टल पर दिए गए लिंक https://pledge.cvc.nic.in के माध्यम से भी प्रतिज्ञा लेंगें तथा प्रतिज्ञा प्रमाण-पत्र की प्रति cvo@dcpw.gov.in ईमेल करेंगें ।

4. निदेशालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी (अं.रा.पु.बेतार केन्द्रों सहित) उपरोक्त सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते है।

5. निदेशालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी (अं.रा.पु.बेतार केन्द्रों सहित) से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में प्रतिभागी के रुप में भाग लेने के लिए अपनी सहमति प्रतियोगिता के एक दिन पहले तक इ-मेल cvo@dcpw.gov.in के माध्यम से सूचित करें या 9811067091,9999271071 पर एसएमएस/संदेश भेज कर सतर्कता प्रकोष्ठ में अपना नामांकन कराएं।

6. प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए जाएगें। सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 15/09/2021 दिनांक 01/09/2021 के अनुसार सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा भी इसी विषय पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस संबंध में प्रत्येक केंद्र प्रभारी इस संबंध में रु.1000/- (एक हजार रुपए मात्र) तक का व्यय स्टेशन इम्प्रेस्ट से कर सकते हैं।

8. **सभी कार्मिकों को सभी स्थानों और कार्यक्रमों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान कोविड-19 निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।**

9. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(आर.के.वर्मा)
संयुक्त निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

सेवा में,

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी शाखा प्रमुख/अनुभाग प्रमुख/अं.रा.पु.बे. केन्द्र के प्रभारी।
3. अपर निदेशक(मु.)/अपर निदेशक (प्रचालन) के निजी सचिव।
4. आई.टी.सेल, स.नि.पु.बे. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए और ऑनलाइन माध्यम के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ।
5. सभी नोटिस बोर्ड

सादर सूचना के लिए प्रतिलिपि अग्रेषितः-

1. अवर सचिव (पीएम), पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (सतर्कता), सतर्कता अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय नई दिल्ली।